न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील निर्वाचन सं0 20/2020

1. हरीशंकर पुत्र श्री रमेश चंद
2. मीरा पत्नी हरीशंकर
3. अमित पुत्र हरीशंकर
4. प्रीति पुत्री हरीशंकर
5. दीपिका पुत्री हरीशंकर

जातियान – वैश्य निवासीयान – पुरानी सब्जी मंडी ,वार्ड नम्बर 21, कस्बा बयाना जिला भरतपुर (राज0)

.... अपीलांटस

बनाम

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम) बयाना

.... रेस्पोडेन्ट

अपील खिलाफ आदेश दिनांक......................
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम)
बयाना

निर्णय

दिनांक : 02.12.2020

अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील विरूद्ध आदेश निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.), बयाना जिला भरतपुर दिनांक .... के पेश की है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलान्ट्स पचासों वर्ष से वार्ड संख्या 21 कस्बा बयाना में मय परिवार निवास करते चले रहे हैं परन्तु अपीलान्ट्स के नाम वार्ड संख्या 21 से वार्ड संख्या 30 कस्बा बयाना की मततदाता सूची में शिफ्ट कर दिए हैं, जो विधि विरूद्ध हैं। अपीलान्ट्स के नाम कस्बा बयाना के वार्ड संख्या 21 में क0सं0 285 से 291 में दर्ज हैं, जिन्हें यथावत रखा जावे। अपीलान्ट्स ने निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.), बयाना के अपीलाधीन आदेश को निरस्त कर अपने नाम कस्बा बयाना के वार्ड संख्या 21 में क0 सं0 285 से 291 में यथावत रखे जाने की प्रार्थना की है ।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.), बयाना से तहत पत्रावली व टिप्पणी तलब की गई [illegible] न मिसिल है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2021.02.17 13:16:31 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

पत्रावलियों का अवलोकन किया। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.) बयाना ने अपनी टिप्पणी में अंकित किया है कि प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में अपने नाम वार्ड संख्या 21 से वार्ड संख्या 30 में शिफ्ट कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसकी जांच सुपरवाईजर से कराई गई। मौके पर अपीलान्ट्स द्वारा सुपरवाईजर को भी वार्ड संख्या 30 में ही निवास करना बताया गया है। अपीलान्ट्स वर्तमान में वार्ड संख्या 30 कस्बा बयाना में ही निवास कर रहे हैं। अपीलान्ट्स जिस स्थान पर वर्तमान में निवास करते हैं, उसी वार्ड में उनके नाम शिफ्ट किये गए हैं ।

अपीलान्ट्स द्वारा अपने नाम वार्ड संख्या 21 से वार्ड संख्या 30 में शिफ्ट कराने हेतु ई0आर0ओ0 के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसकी जांच ई0आर0ओ0 बयाना द्वारा सम्बन्धित सुपरवाईजर से कराई गई। सुपरवाईजर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 11.11.2020 में अंकित किया है कि '' **मौके पर स्वयं अपीलान्ट हरिशंकर व उनका लड़का मिला। उन्होंने बताया कि हम वर्तमान में वार्ड नं0 21 में निवास नहीं कर रहे हैं। उन्होंने लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि हम वर्तमान में वार्ड नं0 30 में स्थाई निवास कर रहे हैं। इसलिए हमारे मतों को मतदाता कमांक 285,286,287,288,291 को वार्ड नं0 21 से वार्ड नं0 30 में स्थानान्तरित करने की कृपा करें।''** इस प्रकार अपीलान्ट के नाम उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर ही वार्ड नं0 21 से वार्ड नं0 30 में शिफ्ट किये गए हैं और अपीलान्ट्स वर्तमान में कस्बा बयाना के वार्ड संख्या 30 में ही निवास कर रहे हैं। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.), बयाना द्वारा पारित अपीलाधीन आज्ञा विधिवत है, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाते हैं। अस्तु अपील अपीलान्ट काबिल खारिज के रहती है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । निर्णय आज दिनांक 02.12.2020 को सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2021.02.17 13:16:31 IST
Reason: SelfAttested

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर,
भरतपुर